Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

मलकीत सिंह आदि बनाम गुलाब सिंह आदि

म मुकदमा 212 आरटीएक्ट नम्बर 72 / 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025 / 208

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
5.2025	प्रार्थी मलकीत सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति बावरी साकिन 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर वगैरा की ओर से श्री परमजीत सिंह मेहरा अधिवक्ता ने वाद–पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र, मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के अंतरिम व्यादेश पारित करने हेतु प्रार्थना करने पर प्रार्थीगण को सुना गया। अप्रार्थीगण की तलबी तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित कर विवादित भूमि रिकॉर्ड व मौका यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों, वकील प्रार्थीगण के कथनों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि वे विवादित भूमि चक 66 एन पी का मु.नं. 21 प.न. 244/351 की 3.061 है. नहरी भूमि में 1/2 हिस्सा यानि 1.531 है. नहरी भूमि ,व चक 8 पीटीडी ए के मु.न. 3 प.न. 245/351 के 3.162 है. कमाण्ड भूमि में 1/2 हिस्सा यानि 1.581 है. कमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनों चकों में कुल तादादी 3.112 है. नहरी भूमि पर आगामी तारीख पेशी रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस के भीतर रजि.ए डी नोटिस तलवाना पेश करें, एवं तलबी जारी करवा नोटिस मय स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को भिजवाते हुए रजि0 रसीद प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पर अप्रार्थीगण की तलबी कराने में असफल रहने पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावे। • रास्ता/खाला के विवाद पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा। • डी.आई.एल.आर.एम.पी के कार्यों व बैंक ऋण वसूली • (राको रोडा) पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा। रजि0 एडी नोटिस तलवाना पेश करने पर तलबी जारी हो। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.07.2025 को पेश हो। (सुभाष चन्द्र) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर [Stamp: उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर] 10/6/25 पत्रावली [illegible]	662 22/5/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:28:17 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner